भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

कलावती सरन अस्पताल में, **"अवर श्रेणी लिपिक एव उच्च श्रेणी लिपिक"** पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, कलावती सरन अस्पताल में, **"अवर श्रेणी लिपिक एव उच्च श्रेणी लिपिक"** के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिक णियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुटिप्प/ पणधारक भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाश की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई मेल कर सकते हैं।-

(निर्मल कुमार भगत)
निदेशक (अस्पताल)
दूरभाष-011 : 23061334

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2019

सा.का.नि. . . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (समूह- 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध अवर श्रेणी लिपिक/स्वागती, स्टोरकीपर और उच्च श्रेणी लिपिक के पद से है, सिवाय उन बातों के अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, अवर श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अवर श्रेणी लिपिक	17* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु. 19900-63200)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख़ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2) कंप्यूटर पर कौशल परीक्षा मानक: क) अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। ख) हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति अनुमत समय: 10 मिनट (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन पांच कुंजी दबाव के आधार पर 35 शब्द प्रति मिनट एवं 30 शब्द प्रति मिनट, 10500 कुंजी दबाव प्रति घंटा/9000 कुंजी दबाव प्रतिघंटा के समतुल्य है) टिप्पण 1: अनुभव संबधी अर्हताएं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं यदि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	हां, स्तंभ (11) में निर्दिष्ट सीमा तक।	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (जहां कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती नहीं की जा रही हो वहां कर्मचारी चयन आयोग शब्द को हटा दिया जाए।) (ii) रिक्तियों का 10% विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर 1800/- रुपए के ग्रेड वेतन में समूह 'ग' कर्मियों में से, जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता का धारण करते हों तथा जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो, भरा जाएगा। परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतक आयु-सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की दशा में पचास वर्ष)। टिप्पण: यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध कर्मियों में से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक हो तो उत्तरवर्ती वर्षों के दौरान होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे अतिरेक कर्मियों पर विचार किया जाएगा ताकि पहले की परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मियों पर बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मियों से पहले विचार किया जा सके। (iii) रिक्तियों का 5%, वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर समूह 'ग' कर्मियों में से भरा जाएगा जिन्होंने 1800/- रुपए ग्रेड वेतन के पदों पर तीन वर्षों की नियमित सेवा की है।	जैसा कि स्तंभ (10) में निर्दिष्ट है।	विभागीय प्रोन्नति और पुष्टि समिति (पुष्टि और प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; (ii) उपनिदेशक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; (iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कलावती सरन बाल अस्पताल का कार्य देख रहे उपनिदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उच्च श्रेणी लिपिक	10* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए)	अचयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	100% प्रोन्नति द्वारा।	कलावती सरन बाल अस्पताल के अवर श्रेणी लिपिक में से प्रोन्नति जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रुपए) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति और पुष्टि समिति (पुष्टि और प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल - अध्यक्ष; (ii) उपनिदेशक, कलावती सरन बाल अस्पताल - सदस्य; (iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कलावती सरन बाल अस्पताल का कार्य देखने वाले उपनिदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[ए. 11018/29/2019-एमएच II]

(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार